

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc 2nd (SOS) Application No.
1330/2022

In

S.B. Criminal Appeal No. 429/2022

Mangilal Son Of Amarlal, Aged About 34 Years,
Resident Of Mahua Kho Thana Iklera District
Jhalawar Raj (Accused Is Confined In Baran Jail
Since 08.03.2022)

-----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

-----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Hari Shanker Gaur
For : Mr. S S Mahala, PP
Respondent(s)

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

19/10/2022

प्रार्थी-अपीलार्थी की ओर से धारा 389 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त मांगीलाल को विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस मामलात, बारां द्वारा सेशन प्रकरण संख्या

05/11 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.22 के माध्यम से धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करार देते हुए अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी करीब 13 माह की सजा भुगत चुका है, दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अपील की सुनवाई में समय लगेगा, उनका यह भी निवेदन है कि सह अभियुक्त पन्नालाल का दण्डादेश इसी न्यायालय द्वारा स्थगित किया जा चुका है, प्रार्थी का मामला उससे भिन्न नहीं है, अतः द्वितीय सजा स्थगन आवेदन को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता व अपीलार्थी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए द्वितीय सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप है कि दिनांक 07.11.20 को उसके कब्जे से 100ग्राम शुद्ध स्मैक एक कपड़े की थैली में बरामद हुई जिसका कोई अनुज्ञापत्र नहीं था। बरामदकर्ता थानाधिकारी ज्ञानचंद पी.डब्ल्यू.-4 व अन्य जाब्तों के पुलिसकर्मियों की साक्ष्य के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त को इस मामले में उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध व दंडित किया है।

आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/21 व 8/29 एनडीपीएस एक्ट के मामले में चार आपराधिक प्रकरण पहले भी संस्थित हुए हैं तथा एक धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त को दोषसिद्ध भी किया गया है तथा तीन प्रकरण अभी भी लंबित हैं।

अभियुक्त पन्नालाल का दण्डादेश इसी न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया है, लेकिन पन्नालाल के विरुद्ध पूर्व में दो आपराधिक प्रकरण संस्थित होने का उल्लेख आया है तथा उनमें से एक प्रकरण में धारा 447 व 427 भारतीय दंड संहिता में उसे दोषसिद्धि किया गया है तथा अन्य एक प्रकरण धारा 8/21 व 8/29 एनडीपीएस एक्ट का लंबित था। जबकि हस्तगत अभियुक्त मांगीलाल एनडीपीएस एक्ट के मामले में भी दोषसिद्ध है तथा तीन अन्य प्रकरण अभी भी उसके विरुद्ध लंबित है।

प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, अपराध की गंभीरता व आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए, इस स्टेज पर, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह द्वितीय सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अपीलार्थी **मांगीलाल** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari/136

सत्यमेव जयते